कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / ..../1071 भोपाल, दिनांक 25-3-0..

प्रति,

समस्त वन संरक्षक, क्षेत्रीय (नाम से)

मध्यप्रदेश

विषय:— **शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के संबंध में शिकायतें।**

—0—

शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के समय वनमंडलाधिकारियों द्वारा बिड शीट में सफलतम बोली की राशि त्रुटिपूर्ण अंकित किये जाने और बोलीदारों को बोली लगाने से रोकने की शिकायते प्राप्त हुई है। स्थिति में सुधार हेतु निम्नानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें :

1 प्रत्येक नीलाम में वन संरक्षक स्वतः अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। अन्य व्यस्तताओं का हवाला देते हुये इस कार्य को अनदेखा नहीं करे।

2 सफलतम बोलीदार की बोली की राशि नीलामी के सूंचना पटल पर अविलंब दर्शाई जाये ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

3 बिड शीट में दूसरी उच्चतम बोली एवं बोलीदार का नाम भी लिखा जाये तथा दूसरे उच्चतम बोलीदार के बिड शीट में हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाये।

4 नीलाम के अंत में काष्ठागार के सूचना पटल पर समस्त विक्रित लाटो के विक्रित लाटवार विक्रय मूल्य तथा सफल बोलीदार के नाम की सूची प्रदर्शित की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोगिक तौर पर निम्नानुसार कार्यवाहियां भी करें और इनके परिणामों तथा इन्हे लागू करने में कठिनाईयों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(अ) नीलाम के समाप्त होते ही विक्रित लाटो की बिड शीट की एक—एक छायाप्रति तैयार कर अविलंब वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करे।

(ब) नीलाम की संपूर्ण प्रक्रिया की आडियो रिकार्डिंग की जाये और नीलाम के अंत में इसे सील बंदकर वन संरक्षक इसे अपने पास सुरक्षित रखे।

यदि किसी वृत्त के अंतर्गत पूर्व में आडियो या वीडियो रिकार्डिंग का प्रयोग किया गया हो तो इसकी उपयोगिता तथा कठिनाईयों के संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि इसे सामान्य रूप से लागू करने पर विचार किया जा सकें।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/ [illegible] / 1072 भोपाल, दिनांक [illegible] -05

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव माननीय वनमंत्री जी को सूचनार्थ अग्रेषित कर अनुरोध है कि वें माननीय वनमंत्री जी को इन निर्देशों से अवगत कराने का कष्ट करें।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश प्रदेश वन विभाग को उपरोक्त विषय में हुई मौखिक चर्चा के परिप्रेक्ष्य में सूचनार्थ प्रस्तुत।

3. अपर सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन वन विभाग को सूचनार्थ अग्रेषित।

— Sd —
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

[illegible]

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/उत्पादन/निर्वतन काष्ठ/. 1240 भोपाल,दिनांक 8/4/2005

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडल अधिकारी (सामान्य)
3. समस्त वन मंडल अधिकारी (उत्पादन)

विषयः-- शासकीय काष्ठागारों में नीलाम के संबंध में शिकायतें।

संदर्भः-- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) का पत्र क्रमांक/1071 दिनांक 24.3.05

—0—

संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के तारतम्य में डिपो नीलाम में पारदर्शिता बनाये रखने एवं अनियमितताओं पर नियंत्रण की दृष्टि से निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :

1. पूर्व निर्देशानुसार वन संरक्षक प्रत्येक नीलाम में अनिवार्य रूप से स्वतः उपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा।

2. बिड शीट में दूसरी उच्चतम बोली एवं बोलीदार का नाम भी लिखा जाये तथा दूसरे उच्चतम बोलीदार के बिड शीट में हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाये।

3. नीलाम की प्रगति के समय नीलाम गृह के पटल पर अविलंब विक्रित पिछले 10 लाटों के लिये प्राप्त उच्चतम बोली की राशि तथा बोलीदार का नाम दर्शाया जायेगा ताकि इसकी पुष्टि कोई भी व्यापारी या अन्य व्यक्ति इच्छा अनुसार तत्समय ही कर सके।

4. नीलाम के समाप्त होती ही विक्रित लाटो की बिड शीट की एक–एक छायाप्रति तैयार कर अविलंब वन संरक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करें।

5 नीलाम की समाप्ति के उपरांत विक्रित लाटो के उच्चतम बोलीदारो तथा उच्चतम बोली की राशि की संपूर्ण सूची डिपो तथा वनमंडल कार्यालयो के सूचना पटलों पर चस्पा की जावे तथा इसकी एक–एक प्रति डिपो से जुड़े व्यापारियों के निकटस्थ संघ को अविलंब भेजी जावे।

6 शासन अथवा प्रधान कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिल्ली डिपो, कोल माइन्स आदि के लिये आवश्यक आरक्षण के अतिरिक्त किसी भी लाट का आरक्षण नहीं किया जाये। यदि किसी विशेष प्रयोजन से किन्हीं लाटो को आरक्षित किया जाना हो तो इसके लिये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से पूर्व अनुमति लेकर ही आरक्षण किया जाये अन्यथा स्थानीय, अधिकारियों द्वारा किया गया आरक्षण निर्देशों की अवहेलना माना जावेगा। यदि किसी आरक्षित लॉट के बाद में अनारक्षित किये जाने से विक्रय की स्थिति निर्मित होती है तो इसे खुले नीलाम के द्वारा ही विक्रय किया जावे और इसे विक्रय से अवशेष बचे लाट मानकर नीलामों के बीच की अवधि में अवरोध मूल्य पर नहीं बेचा जावे।

7. नीलाम की संपूर्ण कार्यवाही ध्वनि संयंत्र पर टेप की जाये। यह टेप नीलाम के बाद वन संरक्षक के कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक 7.4.05
म०प्र० भोपाल